इल्ला रॉय चौधरी

बनाम

श्यामाली दास और अन्य

(2008 की सिविल अपील संख्या 3638)

16 मई, 2008,

[एस.बी. सिन्हा और मुकुंदकम शर्मा, जेजे.]

"भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 - एस.एस. 30 और 31 - उच्च न्यायालय के उस आदेश का प्रभाव जो प्रतिवादी को एसएस 30 और 31 के संदर्भ में कलेक्टर के समक्ष उचित आवेदन दायर करने की अनुमति देता है। जो एक सशर्त आदेश था- अभिनिर्धारित: यदि एक सशर्त आदेश पारित किया गया था, तो उसके तहत लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से, प्रतिवादी की ओर से पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करना अनिवार्य था- यदि पूर्ववर्ती शर्त पूरी नहीं की जाती हैं, तो उसका लाभ लेने का सवाल ही नहीं उठता।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहित संपत्ति से संबंधित एक मामले में, कलेक्टर द्वारा उसके प्रावधानों के संदर्भ में एक रेफरेन्स दिया गया था। इस मामले के तथ्यों पर इस न्यायालय की एक पीठ ने पिछले मामले में गौर किया था। उसमें विचार के लिए उठे प्रश्नों में से एक यह था कि क्या प्रथम पत्यर्थी ने, उच्च न्यायालय द्वारा की गई

टिप्पणी के संदर्भ में, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 31 के तहत संदर्भ के लिए एक आवेदन दायर किया था। इस न्यायालय ने यह देखते हुए कि ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था, यह माना कि पहला प्रतिवादी एक पक्ष के रूप में शामिल होने का हकदार नहीं था।

उपर्युक्त आधार पर पत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें आक्षेपित निर्णय द्वारा संबंधित प्रत्यर्थीगण को अधिनियम के एसएस 30 और 31 के संदर्भ में रेफरेन्स के लिए प्रथम प्रत्यर्थी के आवेदन का निस्तारण करने का निर्देश दिया।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि "उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था जैसा कि इस न्यायालय ने पहले के मामले में पाया था।

वर्तमान अपील में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठा यह था कि उच्च न्यायालय के उस आदेश का प्रभाव क्या होगा जो प्रथम प्रतिवादी को अधिनियम एसएस 30 और 31 के संदर्भ में रेफरेन्स के लिए कलेक्टर के समक्ष एक उचित आवेदन दायर करने की अनुमति देता है। जो एक सशर्त आदेश था, जबकि पूर्ववर्ती शर्तें संतुष्ट नहीं थीं।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1. यदि एक सशर्त आदेश पारित किया गया था, तो उसके तहत लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से, प्रत्यर्थी की ओर से पूर्ववर्ती शर्त को पूरा

करना अनिवार्य था। यदि पूर्ववर्ती शर्त पूरी नहीं की गई है तो उसका लाभ लेने का सवाल ही नहीं उठता। [पैरा 14] [245-सी]

1.2. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, मामले को आगे बढ़ने की अनुमति देने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। [पैरा 16] [246-डी-ई]

श्यामली दास बनाम इला चौधरी, **(2006) 12 एससीसी 300**

संदर्भितः/निर्दिष्ट

सिविल अपील क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 3638/2008।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के 2006 के डब्ल्यू.पी.संख्या 27264 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 20.12.2006 से।

अपीलार्थी की ओर से बिजन कुमार जी.होश, आर.के. गुप्ता, एस.के. गुप्ता, अरुण यादव और ए.एन. बरदैयार।

प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रदीप के. घोष, चिन्मय ए. खलाधर, रुखसाना चौधरी, अनिंदिता गुप्ता, राजेश श्रीवास्तव, तारा चंद्रएच शर्मा, नीलम शर्मा, राजीव शर्मा और रामेश्वर प्रसाद गोयल।

न्यायालय का निर्णय **एस.बी. सिन्हा, जे.** द्वारा दिया गया।

याचिका सुनवाई हेतु ग्रहण कर ली गई।

1. यह याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2006 की रिट याचिका संख्या 27264 में पारित 20 दिसंबर, 2006 के एक फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

उक्त आदेश द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद 'के रूप में संदर्भित) की धारा 30 और 31 के संदर्भ में रेफरेन्स के लिए पहले प्रत्यर्थी के आवेदन का निस्तारण करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के साथ-साथ अन्य संबंधित प्रत्यर्थीगण को भी निर्देशित किया गया।

2. यह मामला उक्त अधिनियम के तहत अधिग्रहित संपत्ति से संबंधित है। कलेक्टर द्वारा प्रावधानों के संदर्भ में एक रेफरेंस दिया गया था। पहले प्रतिवादी का इरादा उसमें पार्टी के रूप में शामिल होने का था। इसे खारिज कर दिया गया।

3. यहां विरोधी पक्षकारों ने खुद को रानी रशमोनी के उत्तराधिकारी और विधिक प्रतिनिधि होने का दावा किया। हमें मामले के तथ्यों को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि श्यामली दास बनाम इला चौधरी, (2006) 12 एससीसी 300 मामले में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस पर गौर किया है।

इसमें विचार के लिए जो प्रश्न उठे उनमें से एक यह था कि क्या पहले प्रत्यर्थी ने, उच्च न्यायालय के एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 31

के तहत संदर्भ के लिए एक आवेदन दायर किया था। उसमें पाया गया कि ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। इसके अलावा यह भी देखा गया:-

> **"21.** यह कहना एक बात है कि अपीलकर्ता के अनुरोध पर अधिनियम की धारा 30 और 31 के तहत कार्यवाही पोषणीय थी। उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22-9-2000 के संदर्भ में इसे दाखिल करने का अवसर दिया गया था। उसने उक्त अवसर का लाभ नहीं उठाया। अवसर का लाभ नहीं उठाने के कारण, हमारी राय में, वह एक पक्ष के रूप में शामिल होने की हकदार नहीं थी।"

4. हम मुकदमेबाजी के पहले दौर में न्यायालयों द्वारा पारित कुछ आदेशों पर ध्यान देंगे।

5. 2005 की सी.ओ. संख्या 3447 में उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 26 सितंबर, 2005 यह प्रतीत होता है कि यह प्रश्न उठा कि क्या ऐसा कोई आवेदन दायर किया गया था या नहीं। उक्त आदेश इस प्रकार है:-

> "इस मामले को शुक्रवार (30.9.2005) को पूरक सूची में सूचीबद्ध प्रस्ताव से पहले 'आदेशों के लिए' शीर्षक के तहत रखें।"

विद्वान अधिवक्ता सुब्रतो मुखोपाध्याय विरोधी पक्षकार संख्या 3 के लिए उपस्थित होता है। श्री मुखोपाध्याय से अनुरोध है कि वे अपने मुवक्किल से निर्देश प्राप्त करें कि क्या विरोधी पक्षकार संख्या 1 और 2 ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30 और 33 के तहत कोई आवेदन दायर किया है,

श्रीमती श्यामलीदास विरोधी पक्षकार संख्या 1 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होती हैं। वह इस न्यायालय को सूचित करती है कि अगली तारीख पर विरोधी पक्षकार संख्या 2, जो उसका बेटा है, भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

पश्चिम बंगाल हाउसिंग बोर्ड चेक कलेक्टर को सौंप सकता है और कलेक्ट को फिलहाल चेक अपने पास रखने का निर्देश दिया जाता है।

6. प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर 2000 की रिट याचिका संख्या 19298 में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 22 सितंबर, 2000 के अपने आदेश द्वारा इसका निपटारा करते हुए निर्देश दिया:-

> "रिट क्षेत्राधिकार में बैठा यह न्यायालय दिए गए मुआवजे की पात्रता का निर्धारण नहीं कर सकता है। इसलिए, यदि याचिकाकर्ता व्यथित है, तो यदि उसे सलाह दी जाए तो वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 31 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 30 के तहत रेफरेंस के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है। धारा 30 किसी भी समय-

सीमा को निर्धारित नहीं करती है और आवेदन किसी भी समय पर किया जा सकता है और यदि ऐसा है तो आवेदन किया गया है, तो कलेक्टर उस पर निर्णय ले सकता है और कानून के अनुसार उक्त आवेदन पर उचित आदेश पारित कर सकता है। धारा 30 के प्रावधान के तहत रेफरेंस देकर और स्वयं की विद्वता व विवेक अनुसार धारा 31 का भी सहारा ले सकता हैं। यदि विवाद की जांच करने के बाद वह पाते हैं कि प्रथम दृष्टया विवाद मौजूद हैं जिनकी जांच करना आवश्यक है। ऐसी परिस्थितियों में, कलेक्टर उस विवाद पर निर्णय लेने का हकदार नहीं है जो अदालत द्वारा निर्णय का विषय है; केवल यह कहना है कि प्रथम दृष्टया कोई विवाद पैदा करने वाला मामला नहीं है और यदि प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है तो उसे धारा 30 सपठित धारा 31 के तहत रेफरेंस करना होगा।। यह निर्णय आगे संवितरण से पहले लिया जाना है।"

7. उपरोक्त आधार पर विरोधी प्रत्यर्थीगण ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे 2006 की रिट याचिका संख्या 27264 के रूप में पंजीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आक्षेपित निर्णय पारित हुआ।

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बिजन कुमार घोष का कहना है कि आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि इस न्यायालय ने पाया कि ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था।

9. श्री चिनोमी ए. कलादखर, प्रत्यर्थीगण 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का दूसरी ओर तर्क है कि इस तरह के आवेदन को दाखिल करना विवादित नहीं है और मामले को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि की है।

10. हालाँकि, पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री तारा चंद्र शर्मा ने हमारे ध्यान में लाया कि यद्यपि वास्तव में ऐसा एक आवेदन दायर किया गया था, लेकिन, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पालना न होने के कारण उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सका।

11. इस न्यायालय के समक्ष उपरोक्त अपील में एक तर्क उठाया गया था कि ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। उपरोक्त उल्लिखित स्थिति में ही उपरोक्त टिप्पणियाँ की गईं।

12. इसके विरुद्ध एक पुनर्विलोकन आवेदन दायर किया गया था, जिसे 14 दिसंबर, 2006 के आदेश के आधार पर खारिज कर दिया गया

था, (हालांकि कथित तौर पर उक्त तथ्य इस न्यायालय के संज्ञान में भी लाया गया था), जिसमें कहा गया था: -

> "हमने पुनर्विलोकन याचिका और संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया हमारी यार में पुनर्विलोकन का कोई मामला नहीं बनता है। तद्नुसार पुनर्विलोकन याचिका खारिज की जाती है।"

इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय ने, अन्य बातों के अलावा, इस आधार पर आगे कदम बढ़ाया कि ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। हालाँकि, प्रथम प्रतिवादी ने अपने शपथ-पत्र में कहा कि ऐसा एक आवेदन दायर किया गया था। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 4 से 7 ने अपने जवाबी शपथ-पत्र में इस प्रकार कहा है:-

> "16. इसके बाद श्रीमती. श्यामली दास, प्रतिवादी नंबर 1 ने 8.8.2001 को जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण-24-परगना को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 सपठित धारा 30 के तहत उक्त भूमि के स्वामित्व के किसी भी दस्तावेज के बिना आवेदन किया गया था। उक्त आवेदन में उसने कहीं भी मौजा राजापुर के प्लॉट नंबर 1028 को अपना नहीं बताया है, जिसके विरुद्ध अवार्ड घोषित किया गया है। यहां तक कि उसने कलकत्ता में उच्च न्यायालय के माननीय एकल

न्यायाधीश के आदेश दिनांक 22.9.2000 के अनुसार अन्य गैर-उपस्थित प्रत्यर्थीगण को रिट याचिका और आदेश दिनांक 22.9.2000 की प्रति की तामील का कोई सबूत भी प्रस्तुत नहीं किया था।"

13. इसलिए हम इस उपधारणा पर आगे बढ़ेंगे इस धारणा पर आगे बढ़ें कि ऐसा आवेदन वास्तव में दायर किया गया था, और मुकदमेबाजी के पहले दौर में हमारे सामने दिया गया तर्क गलत था।

14. हालाँकि, प्रश्न यह उठता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश का क्या प्रभाव होगा जो पहले प्रतिवादी को अधिनियम की धारा 30 और 31 के संदर्भ में कलेक्टर के समक्ष एक उचित आवेदन दायर करने की अनुमति देता है। एक सशर्त आदेश. वास्तव में यह पाया गया कि इसके लिए पूर्ववर्ती शर्तें संतुष्ट नहीं थीं।

इसलिए, उक्त आदेश में निर्धारित परिणाम सामने आया, जिसके संदर्भ में इसे वापस ले लिया गया। यदि ऐसा है, तो आवेदन को हानिरहित होने के कारण निस्तारित करने के निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को प्रभावी करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि कोई सशर्त आदेश उसके तहत लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से पारित किया गया था, तो प्रतिवादी के लिए पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करना अनिवार्य था। यदि पूर्ववर्ती शर्त पूरी नहीं हुई है, तो उसका लाभ लेने का सवाल ही नहीं उठता।

15. इस मामले में, जैसा कि प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से खुद को रेफरेंस याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल करने का प्रयास निरर्थक व अनुपयोगी था। उक्त आदेश को अंतिम रूप मिल गया। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उक्त प्रत्यर्थी इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि ऐसा कोई आवेदन दायर किया गया था या नहीं। इस न्यायालय के फैसले में, यह कहना मात्र एक पुनरावृत्ति होगी कि एक रियायत दर्ज की गई है। हमें इस तरह की रियायत के प्रभाव में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि यह गलत तरीके से किया गया था।

> 17. श्रीमती श्यामली दास प्रत्यर्थी संख्या 1 का आवेदन दिनांक 8.8.2001 प्राप्त होने के बाद विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, दक्षिण 24-परगना द्वारा मेमो नंबर डब्ल्यू.पी.नंबर 19298 (डब्ल्यू)/2000 एल.ए. 1957 दिनांक 23.8.2001 उससे एक बार फिर पत्र प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर भूमि अनुसूची यानी मौजा का नाम, प्लॉट नंबर, खतियान नंबर, अधिग्रहण के सौदे के साथ भूखंडों का क्षेत्रफल और स्वामित्व के संबंध में दस्तावेज जमा कराने के लिए कहा ताकि माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जा सके। यह पत्र श्रीमती श्यामली दास - प्रत्यर्थी संख्या 1 को दिनांक 24.8.2001 को अपने हस्ताक्षर के तहत प्राप्त हुआ।

18. श्रीमती श्यामली दास- प्रत्यर्थी नंबर 1 ने अपने आवेदन दिनांक 8.8.2001 में अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज जमा नहीं किया था, जैसा कि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, दक्षिण -24 परगना द्वारा उपरोक्त पत्र दिनांक 23.8.2001 द्वारा मांगा गया था, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके आवेदन पर कलेक्टर, दक्षिण 24-परगना, अलीपुर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

19. दूसरी ओर, कलकत्ता में उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश के दिनांक 22.9.2000 के आदेश की पालना में रिट याचिका संख्या 19298 (डब्ल्यू) 2000 और आदेश दिनांक 22.9.2000 की प्रतिलिपि अन्य गैर-उपस्थित प्रत्यर्थीगण को आदेश की तारीख से 7 दिनों के भीतर अर्थात 22.9.2000 से 07 दिनों के भीतर तामील कराने का प्रमाण वह प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसलिए, दिनांक 22.9.2000 का आदेश स्वतः ही वापस ले लिया गया, जैसा कि उक्त आदेश में निर्देशित किया गया है।"

16. इसलिए, हमारे सामने दी गई रियायत के बावजूद हम आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा

की गई टिप्पणियों के अनुसार मामले को जारी रखने की अनुमति देने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

17. उपर्युक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है। यह अपील स्वीकार की जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

बी.बी.बी. अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुनीता मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।